न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

कमांक– 179. **शिवपुरी दिनांक– 23.02.2026**

–:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::–

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 **नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **मार्च–अप्रैल, 2026** में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूं :–

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह मार्च–अप्रैल 2026 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1.	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	03-03-2026 04-03-2026 05-03-2026 (स्थानीय अवकाश)
2.	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	01-03-2026 07-03-2026 08-03-2026 15-03-2026
3.	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	31-03-2026 03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026
4.	सुश्री निहारिका व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	21-03-2026 22-03-2026 27-03-2026 12-04-2026 26-04-2026
5.	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	19-03-2026 20-03-2026 29-03-2026 14-04-2026 19-04-2026

6.	श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	15-03-2026 12-04-2026 26-04-2026
7.	श्री भूपेंद्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	19-03-2026 20-03-2026 21-03-2026 22-03-2026 14-04-2026
8.	श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	01-03-2026 27-03-2026 04-04-2026 05-04-2026
9.	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	07-03-2026 08-03-2026 29-03-2026 31-03-2026 03-04-2026
10.	श्री रज्नेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	03-03-2026 04-03-2026 05-03-2026 (स्थानीय अवकाश) 19-04-2026
11.	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	01-03-2026 08-03-2026 15-03-2026 19-03-2026 29-03-2026 05-04-2026 12-04-2026
12.	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	20-03-2026 21-03-2026 22-03-2026 27-03-2026

			14-04-2026 26-04-2026
13.	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	03-03-2026 04-03-2026 05-03-2026 (स्थानीय अवकाश) 07-03-2026 31-03-2026 03-04-2026 04-04-2026 19-04-2026
14.	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	01-03-2026 03-03-2026 04-03-2026 05-03-2026 (स्थानीय अवकाश) 07-03-2026 08-03-2026 15-03-2026 19-03-2026 20-03-2026 21-03-2026
15.	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	22-03-2026 27-03-2026 29-03-2026 31-03-2026 03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026 12-04-2026 14-04-2026 19-04-2026 26-04-2026
16.	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	01-03-2026 03-03-2026 04-03-2026

			05-03-2026 (स्थानीय अवकाश) 07-03-2026 08-03-2026 27-03-2026 12-04-2026 14-04-2026 19-04-2026
17.	सुश्री काजल नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	15-03-2026 19-03-2026 20-03-2026 21-03-2026 22-03-2026 29-03-2026 31-03-2026 03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026 26-04-2026
18.	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी	खनियाधाना	समस्त सार्वजनिक अवकाश

नोट :–

01. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।

02. माह **मार्च–अप्रैल 2026** में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बाबत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सुश्री प्रिया शर्मा, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्रीमती प्रीति पाण्डेय, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में सुश्री काजल रेनीवाल, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में श्री विकास विश्वकर्मा, जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में सुश्री मोनिका वर्मा जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना अथवा तहसील पिछोर में उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में सुश्री काजल नायक, जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।

03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करते हैं एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

05. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।

06. रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेन्ट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।

नोटः– तहसील खनियाधाना पर सार्वजनिक अवकाश वाले दिन वहां पदस्थ मजिस्ट्रेट के किसी आकस्मिकता के कारण अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर होने की दशा में उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देकर सहमति उपरांत रिमांड ड्यूटी तहसील पिछोर में, उनके प्रभार वाले

मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जायेगी। सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसी किसी भी परिस्थिति अथवा अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को देंगी।

23/2/26

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

पृष्ठांकन क्र0189.... **दिनांक** ..26/02/26..

प्रतिलिपि :–

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी शिवपुरी/करैरा/पिछोर/कोलारस/पोहरी/खनियाधाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस /खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
04. निज सहायक, न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/2/26

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.